



हिन्दी भाषा का विकासात्मक अध्ययन

डॉ० राम अधार सिंह यादव
एसोसिएट प्रोफेसर हिन्दी-विभाग
एस० एम० कॉलेज चन्दौसी (सम्भल)

‘हिन्दी’ जिस भाषा धारा का विशिष्ट नाम है। वह शब्दार्थ की दृष्टि से हिन्द या भारत में बोली जाने वाली भाषा कही जा सकती है। इसके पुराने नामों में ‘हिन्दुई’ हिंदवी या हिन्दुस्तानी उर्दू आदि भी इसी अर्थ को प्रकट करते हैं। वस्तुतः आज हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी नामों का प्रयोग जिन भाषा रूपों के लिए किया जाता है व्याकरणिक स्तर पर वे प्रायः एक ही हैं। जब मुसलमान भारत में आये तो उन्होंने मध्यदेश की भाषा को ‘हिन्दुई’ कहा जो बाद में व श्रुति के साथ ‘हिन्दवी’ बन गया। सामान्यतः दिल्ली के आस-पास की बोली देहलवी या उसके निकटवर्ती क्षेत्र की बोलियों पर आधारित यह हिन्दू और मुसलमानों की समान भाषा रही। जिसके भीतर पुराना-नया सभी रूप हिन्दवी, हिन्दुस्तानी, दक्खिनी, रेख्ता, उर्दू आदि सभी समाहित हो जाते हैं। अमीर खुसरो ने घोषित किया था कि “मैं हिन्दुस्तानी तुर्क हूँ और हिन्दवी में उत्तर देता हूँ। मेरे पास मिश्र की शक्कर नहीं है जिससे मैं अरबी में बात कर सकूँ।

तुर्क इ हिन्दुस्तानिम मनदर हिन्दवी गोएम जवाब।

शक्कर इ मिश्रि न दरम कज़ अरब गोएम सुखन।।

इसी हिन्दवी का प्रयोग जायसी ने ठेठ अवधी में भी किया

“तुरकी अरबी हिन्दवी भाषा जे तो आहि।”

डॉ० धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि “भाषा प्रसंग में प्राचीन तथा मध्यकालीन फारसी, और अरबी साहित्य में जबाने हिन्द शब्द का प्रयोग हिन्दी की सम्पूर्ण भाषाओं – संस्कृत, पालि, प्राकृति और अपभ्रंश के लिए मिलता है।” इसी भाषा का रूप कालान्तर में बदलता हुआ। हिन्दी बना जिसका प्रयोग कई रूपों या नामों से होता है। इसके कुछ नाम इस प्रकार हैं। ठेठ हिन्दी, खड़ी बोली हिन्दी, शुद्ध हिन्दी मानक हिन्दी।

‘ठेठ हिन्दी’ भाषा का वह रूप है जिसमें हिन्दवी (हिन्दी) छूट और किसी बोली का समावेश न हो। इसमें सामान्यतः तद्भव शब्द आते हैं। इसमें अन्य बोलियों का पुट नहीं होता है। दूसरी ओर अरबी-फारसी और संस्कृत की शब्दावली से इसको मुक्त रखा जाता है। सैय्यद इंशा अल्लाह खां ने सर्वप्रथम इस प्रकार प्रतिज्ञा की “ कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिन्दवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में न हो। हिन्दवीपन भी न निकले और भाषापन भी न हो। बस जैसे भले लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते-चालते हैं। आगे



चलकर अयोध्यासिंह उपाध्याय ने तो 'ठेठ हिन्दी का ठाठ' शीर्षक पुस्तक ही लिख डाली। इंशा अल्लाह खां का यह प्रयास भी हिन्दी के मानक रूप की ओर भी अग्रसर करता है। केवल हिन्दी शब्दों का प्रयोग किया जाय। अरबी फारसी रहित शब्द का प्रयोग हो। ग्रामीण बोलियों के प्रभाव से मुक्त रखा जाए। भले लोगो की भाषा जिसमें अच्छो से अच्छे आपस में बोलते चालते हो। 1

खड़ी बोली हिन्दी

खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग लिखित रूप में लल्लू जी लाल द्वारा लिखित प्रेमसागर में प्राप्त होता है— "श्रीयुत गुन—गाहक गुनियन—सुखदायक जान गिलकिस्त महाशय जी आज्ञा से संवत् 1860 में श्री लल्लू जी लाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहस्त्र अबदीव आगरे वाले ने जिसका सार ले यामिनी भाषा छोड़ दिल्ली—आगरे की खड़ी बोली में कह नाम 'प्रेमसागर' धरा। "

इसी प्रकार फोर्ट बिलियन के दूसरे व्यक्ति सदल मिश्र ने भी सर्वप्रथम 'नासिकेतोपाख्यान' के प्रारम्भ में खड़ी बोली का प्रयोग किया—

"अब संवत् 1860 में नासिकेतोपाख्यान को जिसमें चन्द्रावती की कथा कही है। देववाणी से कोई समझ नहीं सकता इसलिए खड़ी बोली से किया।"

सदल मिश्र का दूसरा ग्रंथ रामचरित की भूमिका में लिखा गया है कि "अब इस पोथी को भाषा कहने के कारण सिद्ध है कि मिस्टर जान गिलकिस्त साहब ने ठहराया और एक दिन आज्ञा दी कि अध्यात्म रामायण को एक ऐसी बोली मे करों। जिसमें अरबी—फारसी न आवे। तब मैं इसको खड़ी बोली में कहने लगा। और सन् 1862 में पोथी को समाप्त किया।"2

'खड़ी बोली' का नाम ही तत्कालीन भाषा के लिए उपयोग किया गया। जिस प्रकार स्टैंडर्ड के मूल में धातु है उसी प्रकार खड़ी में धातु है। स्वतः गिलकिस्त महोदय ने खड़ी बोली के 'प्योर' 'स्टार्लिंग' 'पर्टिक्यूलियर इंडियन' आदि विशेषणो को लेकर स्टार्लिंग को समझाया है।

इस प्रकार एक तरह से लल्लू जी और सदल मिश्र के प्रयोग से स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि 'खड़ी बोली' का मूल स्वरूप दिल्ली—आगरे की बोली भले ही हो पर साहित्यिक भाषा के रूप में उसका विस्तार आगरा तक हो चुका था।

स्टैंडर्ड भाषा के रूप में प्रचलित इस भाषा की निम्नलिखित विशेषताए हैं।

- 1— खड़ी बोली ब्रजभाषा और रेख्ता दोनो से ही अलग एक बोलचाल की भाषा थी।
- 2— वह अपभाषा नहीं थी वरन् एक व्यवहारिक तथा श्रेष्ठ भाषा थी जिसमें साहित्यिक ग्रंथो की रचना सम्भव थी।
- 3— इसमें उर्दू (यामिनी) भाषा के शब्दो को जोड़ देने से रेख्ता का रूप बन जाता होगा,



और उन्हें छोड़ देने से हिन्दी का।

4- इस भाषा का मूल आधार दिल्ली और आगरा की बोली थी।

5- इस भाषा का विस्तार दिल्ली-आगरे से बिहार तक था।

शुद्ध हिन्दी में तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें विदेशी शब्द नहीं आते। कभी-कभी क्षेत्रीय बोलियों से प्रभावित हिन्दी से भेद करने के लिए इस भाषा को उच्च हिन्दी कहते हैं। इस भाषा में अनावश्यक तत्सम शब्दों की बहुलता की गई हो उसे शुद्ध 'हिन्दी' के पर्याय के रूप में माना है।

डॉ० सुनीत कुमार चटर्जी ने साहित्यिक भाषा में प्रयुक्त हिन्दी भाषा को 'नागरी हिन्दी' कहना उचित समझते हैं। इसी को आपने 'साधु हिन्दी' या 'हाई हिन्दी' भी कहा है।³

हिन्दुस्थानी भी डॉ० सुनीत कुमार चटर्जी का दिया हुआ नाम है "हिन्दुस्थानी के स्थान पर आप इसको अधिक महत्व देते हैं। जिसके अन्तर्गत नागरी हिन्दी तथा उर्दू दोनों रूप सम्मिलित हो जाते हैं।"⁴

सभी उपरोक्त नामों में से 'स्टैंडर्ड' वाची रूपों को अलग ले तो ये शब्द निकलकर आते हैं— ठेठ, खड़ी तथा अशुद्ध। इस परिभाषिक शब्दावली के निर्माण से पूर्व परिनिष्ठित शब्द का प्रचलन था। अब भारत सरकार ने इसी अर्थ में 'मानक' को निश्चित कर दिया है।

जब बोलियों में से कोई बोली शिक्षित सामाजिक वर्ग की भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है। तब वह मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा कही जाती है। इसके विभिन्न भाषिक स्वरूप इस प्रकार हैं: गवारू बोली → निम्न स्तरीय व्यक्तियों द्वारा बोलचाल की बोली → बोलचाल की मानक स्वरूप → साहित्यिक गद्य-पद्य में प्रयुक्त मानक रूप विभिन्न स्तरों को पार कर गवारू बोली (उपभाषा) ही साहित्यिक या मानक भाषा का रूप धारण कर लेती है।

भाषा के मानक स्वरूप में केन्द्र के महत्व का प्रतिपादन परिनिष्ठित हिन्दी पर आयोजित संगोष्ठी में डॉ० विश्वताथ प्रसाद ने इस प्रकार किया: "विकास के साथ भाषा में जो व्यापकता की प्रक्रिया होती है। उसमें एक और आवश्यक तत्व समाहित हो जाता है, और वह तत्व भाषा की केन्द्राभिमुखी प्रवृत्ति जिसमें व्यापकता के साथ-साथ भाषाओं की एक रूपता बनी रहती है। शिष्ट प्रयाग अर्थात् शिष्टों का प्रयोग ही केन्द्रीकरण का आदर्श माना जाता है। इसी आधार पर इंग्लैण्ड में स्टैण्डर्ड इंगलिश या रिसोव्ड इंगलिश का मर्यादित रूप अंगीकृत किया गया। भाषा के विकास के साथ-साथ उसमें सामाजिक स्तर और देशगत भेदों के द्वारा नवीन रूपों की समस्या खड़ी हो जाती है। इस प्रकार विकास के साथ-साथ भाषा का प्रसार दूर-दूर तक हो जाता है तो उसके परिनिष्ठित शिष्ट या साधु को निश्चित करने के लिए मध्यम मार्ग का ही अनुसरण करना पड़ता है। इसमें 'समझने की सीमा' या 'बोधगम्यता की मर्यादा' विशेष सहायता देती है।"⁵



एक भाषा में अनेक बोलियाँ होती हैं उन बोलियों में उच्चारण शब्द—भंडार व्याकरण आदि की भिन्नता रहते हुए भी बोधगम्यता बनी रहती है। आर्थात् किसी भाषा की मानक शैली के विविध रूप में बोधगम्यता बनी रहेगी व सभी विविध बोलियाँ उस भाषा के अन्तर्गत मानी जायेगी। आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा के अनुसार “हिन्दी बहु—दूरव्यापिनी भाषा है, उसका क्षेत्र लगभग एक हजार मील लम्बा है। इस क्षेत्र में बोलियाँ अनेक होगी, इसमें सन्देह नहीं। कहावत है कि आठ कोस पर वाणी बदल जाती है। इस सृष्टि से हिन्दी की बोलियों की संख्या स्वभावतः काफी बड़ी हो जाती है किन्तु यह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हिन्दी के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक बोधगम्य अक्षुण्य है। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही आदि उस विशाल परिवार के अंग हैं। जिसका हिन्दी शब्द से बोध होता है।”⁶

आज हिन्दी का मानक स्वरूप जिन केन्द्रों की ओर मुख किए हुए है वे हैं आगरा मथुरा और दिल्ली। नवम् हिन्दी साहित्य सम्मेलन बम्बई के अध्यक्ष पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी के विचार द्रष्टव्य हैं। पश्चिमी हिन्दी का लिंग ही परिनिष्ठित हिन्दी में मान्य हैं प्रान्तीयता का प्रेम छोड़कर दिल्ली, मथुरा, आगरे के प्रयोगों का अनुसरण सबको करना चाहिए। क्योंकि मेरी समझ में यही के प्रयोग शुद्ध और माननीय हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा में मतभेद हो तो आगरे को प्रधानता देनी चाहिए। आज जिसे हम हिन्दी कहते हैं। वह मेरठ और दिल्ली के आस—पास की खड़ी बोली में बोली जाने वाली खड़ी बोली का विकसित एवं परिष्कृत रूप है। जिसका एक समृद्ध एवं विशाल साहित्य है। जिसका एक मानक रूप है।

आज साहित्य में, समाचार पत्रों में, रेडियो एवं दूरदर्शन पर फिल्मों में तथा अन्तर राज्यीय सम्पर्क भाषा के रूप में जिसका व्यापक प्रयोग हो रहा है। जो आज देश की राज भाषा है। तथा भारतीय संविधान की धारा 151 के अनुसार जिसकी समृद्धि सुनिश्चित करने तथा जिसे भारतीय सामासिक संस्कृति का वाहक बनाने का कर्तव्य भारतीय संघ का है। हिन्दी भाषा का एक जातीय रूप है, जिसके दर्शन हमें हिन्दी भाषा क्षेत्रों में मिलते हैं। दून क्षेत्रों की संस्कृति की वाणी है हिन्दी। इसी के माध्यम से वह भारतीय सामासिक संस्कृति की संवाहिका रही है। और आज भारत की अन्य भाषाओं से शब्दावली तथा मुहावरे ग्रहण कर अपने सर्वदेशिक स्वरूप को और अधिक सम्पन्न बनाने का प्रयत्न कर रही है। आज उसे अपना संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए कला, संस्कृति दर्शन, विधि, आयुर्विज्ञान तथा विज्ञान आदि क्षेत्रों में उच्च अध्ययन—अध्यापन का माध्यम भी बनाना है और भारतीय सामासिक संस्कृति का संवाहक भी।

सन्दर्भ सूची:

- 1— लल्लू लाल — प्रेमसागर संस्कृत यंत्रालय कलकत्ता सन् 1842 पृष्ठ 1
- 2— सदल मिन्द कृत रामचरित की भाषा सम्बंधी विशेषताएँ हिन्दी अनुशीलन वर्ष 14

अंक 4 भारतीय हिन्दी परिषद प्रयाग, 1961 पृष्ठ 120



- 3- डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी आर्यभाषा और हिन्दी मुन्शी मनोहरलाल दिल्ली 1957 पृष्ठ 147
- 4- डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी आर्यभाषा और हिन्दी मुन्शी मनोहरलाल दिल्ली 1957 पृष्ठ 160
- 5- डॉ० विश्वनाथ प्रसाद ,भारतीय साहित्य, सं एम के कपूर आगरा विश्वविद्यालय प्रेस आगरा वर्ष-2
वॉल्यूम-1,अक्टूबर1957 पृष्ठ 762
- 6- आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा राष्ट्रभाषा हिन्दी: समस्याएं और समाधान लोकभारतीय प्रकाशन 2007 पृष्ठ 150